बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–4 / निदे0आ0वि0(विविध)–74–03 / 2023– 2380

प्रेषक,

श्याम बिहारी मीणा भा0प्र0से0,
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक–03/04/2025

विषय–विभाग अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों में वर्ग–1 में नामांकित छात्र / छात्राओं की दैनिक देखभाल हेतु महिला अनुसेविका आउटसोर्सिग के माध्यम से रखने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग अंतर्गत संचालित सभी डॉ0 भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालयों में वर्ग–1 में नामांकन हेतु छात्र / छात्राओं की आयु सीमा 5 से 7 वर्ष निर्धारित है। इस आयु सीमा के छात्र / छात्राओं के अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है।

2. उल्लेखनीय है कि आवासीय विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान यह देखा जाता है कि वर्ग–1 के छात्र / छात्राएँ अपने दैनिक कार्य यथा–कपड़ा पहनना, ब्रश करना, नित्य क्रिया आदि करने में कठिनाई होती है, जिसके लिए प्रशिक्षित महिला अनुसेविका को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखने की आवश्यकता है। महिला अनुसेविका का दायित्व इन छात्र / छात्राओं के विशेष देख–भाल का रहेगा। विभिन्न विभागीय परिपत्र यथा– पत्रांक–2206 दिनांक–28.08.2017 द्वारा आउटसोर्सिग के माध्यम से अनुसेवक को रखने प्रावधान है।

3. अतः समीक्षोपरान्त निदेश दिया जाता है कि सभी डॉ0 भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालयों के वर्ग–1 के छात्र / छात्राएँ को अपने दैनिक कार्यो में सहयोग करने के लिए आउटसोर्सिग के माध्यम से एक महिला अनुसेविका की सेवा ली जाए। किसी विशेष परिस्थिति में महिला अनुसेविका के अवकाश लेने पर आउटसोर्सिग के एजेन्सी का दायित्व होगा कि वे अन्य महिला अनुसेविका से सेवा चालू रखेंगे।

5. महिला अनुसेविका की सेवा हेतु आउटसोर्सिग एजेन्सी का चयन BFR द्वारा जिला स्तरीय क्रय समिति से किया जाएगा एवं राशि का व्यय वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए संविदा सेवा मद की राशि से किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

2.4.25

निदेशक।

458

ज्ञापांक–4/निदे0आ0वि0(विविध)–74–03/2023–2380 पटना, दिनांक–03/04/2025

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उपनिदेशक(कल्याण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2-4-25

निदेशक